न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
81 / प्रा0पत्र / 15	14.07.2015	05.04.2021

1. भॅवरलाल आ0 दयाराम जाति रेगर
2. रघुनाथ आ0 माधो जाति रेगर
3. सुरेश आ0 स्व0 रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. कालू आ0 गिल्या जाति खाती निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से – श्री नवेद केसर एड0
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से – श्री आनन्द सिंह नरूका एड0
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 कालू को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 1258 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम गुढादेवजी तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 28.10.1977 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 1258 वाके ग्राम गुढादेवजी जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1723 / 1258 हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी से पूर्व रामदेव का कब्जा चला आ रहा था। रामदेव के स्वर्गवास के पश्चात भंवरलाल, रघुनाथ व सुरेश का कब्जाकाश्त हैं। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा बिना विधिक परिक्रया अपनाये हुये अप्रार्थी को भूमि आवंटन कर दिया गया हैं। आवंटन से पूर्व भूमि के कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ हैं। भूमि पर प्रार्थी द्वारा कुँआ भी खुदवाया हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश से आवंटित भूमि के संबंध में एक वाद उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां विचाराधीन हैं। विवादित आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थी को माह जून, 2015 में भूमि पर कब्जा करने एवं बेचान की धमकी देने पर

अति0 जिला कलक्टर

A6/2

द्वारा दिनांक 18.06.2015 को नकल लेने हेतु आवेदन किया गया। आवंटन की नकल दिनांक 19.06.2015 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ती से उक्त प्रार्थना पत्र अवधि पेश हैं। प्रार्थना पत्र को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन आदेश खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आवंटन आदेश आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार विधिक परिक्रया अपनाई जाकर किया गया हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त हैं। आवंटन की शर्तों की पालना करने से गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं और वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में अप्रार्थी का नाम दर्ज हैं। अप्रार्थी द्वारा बवक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं और न ही आवंटन आवेदन पत्र में मिथ्यातथ्य अंकित किये गये हैं। आवंटन खारजी हेतु प्रार्थी द्वारा लगभग 38 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा यह कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने के पश्चात वाद दायर किया गया हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 28.10.1977 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी कालू को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 28.10.1977 को आवंटन किया गया हैं। आवंटन आदेश पूर्ण कोरम में किया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन हैं कि विवादित भूमि पर उसका कब्जाकाश्त हैं। इस कथन की सत्यता के प्रमाण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित आवंटन आदेश को खारिज हेतु लगभग 38 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना की गई हैं जो क्षम्य योग्य नहीं हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है की यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर भूमियों का आवंटन करवाया गया हो प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 28.10.1977 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी